उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–23 / 2013–14

राज्य बनाम रति भुईयां

आदेश

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1425 / रा0 दिनांक 22 / 08 / 2016 से संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–23 / 2013–14 राज्य बनाम रति भुईयां, मौजा–कौवावर, अंचल–कोडरमा, अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक की पृ0सं0–09 पर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन अंकित किया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–660, रकबा–1.50 एकड़ भूमि की जमाबन्दी हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी II के पृष्ट संख्या 159 / 1 पर रति भुईयां, पिता–बिशुन भुईयां सा0–गझंडी के नाम से दर्ज है। पंजी II में प्राधिकार कॉलम में बन्दोबस्ती वाद दर्ज नहीं है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त बन्दोबस्ती वर्ष 1973 के पूर्व का है, उस समय अनुमंडल कार्यालय, हजारीबाग था। अभिलेख में संलग्न पर्चा का सत्यापन हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा के कार्यालय पत्रांक 80 / रा0 दिनांक 6–4–2015 से हजारीबाग भेजा गया था। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग के पत्रांक 586 / रा0 13–5–2015 से प्रतिवेदित किया गया है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी से मिलन किया गया, परन्तु संबंधित रैयत का नाम एवं वाव संख्या कार्यालय में उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी में अंकित नहीं पाया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा के कार्यालय में भी उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी से मिलन किया गया परन्तु संबंधित रैयत का नाम एवं वाद संख्या कार्यालय में उपलब्ध पंजी में अंकित नहीं है। अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा संबंधित दावेदार को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की गयी; किन्तु दावेदार द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 एवं बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 08–9–2016 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। नोटिस निर्गत करने के पश्चात सुनवाई के लिए निर्धारित दो तिथियों को विपक्षी अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात दिनांक 20–9–2016 को विपक्षी के द्वारा वकालतन हाजरी दाखिल करते हुए समय की मॉग की गयी। पुकार पर विपक्षी द्वारा न्यायालय को बताया गया कि उनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 एवं बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित बतलाया गया।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 एवं बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 के आलोक में मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–660, रकवा–1.50 एकड़ पर रति भुईयां, पिता–बिशुन भुईयां सा0–गझंडी के नाम से कायम जमाबन्दी, Schedule-1 की जमाबन्दी धारा 4(h) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेजे।

Details of Land:-मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–660, रकवा–1.50एकड़।

लेखापित एव संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त
कोडरमा।